भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 509
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: वर्धा में सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना

509. श्री अमर शरदराव कालेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा और किसानों को इन पद्धतियों को अपनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) सरकार का इस क्षेत्र में जल की कमी के संकट को ध्यान में रखते हुए वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई अवसंरचना को किस प्रकार संवर्धित करने का विचार है;

(ग) वर्धा जिले में किसानों को बाजार तक उनकी आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करने और उनके बाजार संपर्कों में सुधार करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का उस क्षेत्र में जैविक खेती पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए की जा रही पहलों के दृष्टिगत उक्त जिले में मृदा स्वास्थ्य के मुद्दों का किस प्रकार समाधान करने का विचार है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क) से (घ): सरकार महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) कार्यान्वित कर रही है। किसानों को सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एनएमएसए के तहत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्धा जिले में सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

i. जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना चरण 2.0 (पीओसीआरए)।
ii. सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सतत कृषि सिंचाई योजना।
iii. मिट्टी और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 ।
iv. खेत तालाबों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली मुख्यमंत्री सतत कृषि सिंचाई योजना।
v. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर कृषि स्वावलंबन योजना और
vi. कुओं के निर्माण में किसानों की सहायता के लिए बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना ।

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रधान मंडी कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के दो घटक - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) हैं। वर्धा संसदीय क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली लोअर वर्धा परियोजना को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 63.33 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक विशेष पैकेज 2018 में स्वीकृत किया गया था। वर्धा जिले को लाभान्वित करने वाली शिरूर लघु सिंचाई टंकी को इस विशेष पैकेज में शामिल किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 1065 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना भी कार्यान्वित करती है। वर्धा जिले में अब तक पीडीएमसी योजना के अंतर्गत 23,297 हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया है।

सरकार किसानों को बाजारों तक आसान पहुंच प्रदान करने और "10000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और प्रोत्साहन" तथा ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) जैसी योजनाओं के माध्यम से बाजार संबंधों को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। वर्धा जिले में 15 एफपीओ का गठन किया गया है, जिससे किसानों को इन एफपीओ के माध्यम से अपनी उपज उचित मूल्य पर बेचने में सुविधा मिल रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एफपीओ और बड़े संस्थागत खरीदारों के बीच सीधे संवाद स्थापित करने और व्यापारिक अवसरों की खोज के लिए साप्ताहिक वेबिनार आयोजित करता है। एफपीओ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी उपज का ऑनलाइन विपणन भी करते हैं, जिससे किसानों को व्यापक बाजार तक पहुंच और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। ई-नाम एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कृषि उपज के वास्तविक समय के थोक मूल्य प्रदान करता है, जिससे किसानों को अपनी उपज की बिक्री के संबंध में सोच-समझकर निर्णय लेने में सुविधा होती है। वर्तमान में, वर्धा जिले की 4 मंडियां - अरवी, हिंगनघाट, सिंधी और वर्धा - ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं।

सरकार सॉयल हेल्थ एंड फर्टीलिटी योजना के माध्यम से सॉयल हेल्थ के मुद्दे का समाधान कर रही है। यह योजना सॉयल हेल्थ और उसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खाद और जैव उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देती है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच वर्धा जिले में 32651 सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2016-17 से 2025-26 के बीच पीकेवीवाई के तहत वर्धा जिले में कुल 105 जैविक कृषि क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं, जो 3,144 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं और 2,813 किसानों को लाभान्वित करते हैं।

. *****